

Sixteenth Lok Sabha

an&gt;

**Title:** Regarding problems of Data Entry Operators and Operation Managers employed in CGHS.

**डॉ. यशवंत सिंह (नगीना):** अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से हैल्थ विभाग का ध्यान केन्द्र सरकार के सी.जी.एच.एस. के अंतर्गत कार्यरत 267 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स एवं ऑपरेशन मैनेजर्स की समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। वर्ष 2006 में इन लोगों की नियुक्ति की गई थी। सी.जी.एच.एस. द्वारा इनका इंटरव्यू लिया गया, सी.जी.एच.एस. द्वारा सारे मानक पूरे किए गए और इन 267 लोगों की नियुक्ति करने के बाद इनकी सैलरी देने का अधिकार एन.आई.सी., एन.आई.ई.सी. और एस.आई.सी. एजेन्सी को दे दिया गया। उस एजेन्सी के कारण इन लोगों की सैलरी में 35 परसेंट की कटौती होती है। ये लोग 12 सालों से लगातार बिना किसी ब्रेक के सी.जी.एच.एस. की सेवा करते आ रहे हैं। इनके ट्रांसफर, पोस्टिंग का अधिकार भी सी.जी.एच.एस. के पास है। सिर्फ बीच में एक एजेन्सी के आने के कारण इन्हें जो सैलरी मिलनी चाहिए, उसमें से इनकी 35 परसेंट सैलरी जी.एस.टी. तथा अन्य मदों की वजह से कट जाती है। इन्होंने अपने जीवन के मुख्य 12 साल सी.जी.एच.एस. को दिए हैं। अब ये कहीं बाहर नौकरी करने के पात्र भी नहीं रह गए हैं। कोर्ट का एक आदेश समान वेतन, समान काम का है। उसके अनुसार मैं आज माननीय मंत्री जी से यह अपेक्षा करता हूं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर्स जो 12 सालों से काम कर रहे हैं, इन्हें या तो रेगुलर किया जाए और यदि रेगुलर नहीं किया जाता तो इनको कंप्यूटर्स ऑपरेटर्स के तरीके से बराबर वेतन दिया जाए। धन्यवाद।

**माननीय अध्यक्ष:**

श्री भैरों प्रसाद मिश्र तथा

श्री शरद त्रिपाठी को डा.यशवंत सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।